भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–07 मई, 2017

छत्तीसगढ़ सरकार की नई महुआ नीति के विरोध में!

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में घोषित जनविरोधी खासकर आदिवासी एवं छोटे व्यापारी विरोधी नई महुआ नीति जोकि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची व पेसा–ग्रामसभाओं द्वारा आदिवासियों को प्रदत्त अधिकारों से उन्हें वंचित करने की साजिश के तहत बनायी गयी है, की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कड़ी निंदा करती है, जोरदार विरोध करती है एवं तमाम आदिवासी, गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों, छोटे व्यापारियों का आह्वान करती है कि वे इस नीति को वापस लेने की मांग को लेकर जबर्दस्त आन्दोलन छेड़ें. आदिवासी अधिकारों के पक्षधर जनवादी, प्रगतिशील, मानवाधिकार संगठनों के कार्यकर्ताओं व नेताओं, विपक्षी राजनीतिक दलों व वामपंथी पार्टियों से हमारी पार्टी अपील करती है कि वे महुआ संग्राहकों के पक्ष में मजबूती से खड़े होवें, नई महुआ नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करें, साझा संघर्ष निर्मित करें एवं हर संभव तरीके से इस नीति को वापस लेने सरकार को मजबूर करें.

नई महुआ नीति के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार 21 साल पुराने कानून को फिर से लागू कर रही है जिसके तहत 5 किलो से अधिक महुआ रखने पर लाइसेंस का प्रावधान किया गया है. लाइसेंस की दरें व्यावसायिक प्रयोजनों में एक हजार रुपए; कृषि, शैक्षणिक या औषधीय प्रयोजनों में 500 रुपए; घरेलू उपयोग के लिए एक हजार रुपए तय किया गया है. कानूनन एकत्रित या खरीदे महुआ को बेचने 10 हजार रुपए सालाना शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है. वरना खरीदी–बिक्री व परिवहन पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. आयात–निर्यात के लिए कलेक्टर अथवा सक्षम अधिकारी को आवेदन देना होगा. स्थान, भंडारण की मात्रा, आवेदक के व्यापारी होने या महुआ वृक्षों के स्वामी होने का विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. यहां यह सर्वविदित है कि बस्तर संभाग में 3 लाख क्विंटल महुआ का सालाना कारोबार होता है और संभाग की 80 प्रतिशत आबादी की आय का प्रमुख जरिया यही है. ऐसे में नई महुआ नीति आदिवासी हितों पर कुठाराघात है.

दरअसल नई महुआ नीति को नई शराब नीति के अनुरूप बनायी गयी है. एक तरफ सरकारी शराब भट्टियों के लिए सस्ते दाम पर पर्याप्त महुआ मुहैया कराना, आदिवासियों को घरेलू जरूरतों के लिए भी शराब बनाने से रोककर सरकारी शराब दुकानों पर निर्भर करने लायक बनाना और दूसरी तरफ आदिवासियों को लघु वनोपजों के संग्रहण से वंचित करना. जल–जंगल–जमीन व संसाधनों पर जनता के अधिकार की मांग को लेकर देशभर में तेज होते जन आन्दोलनों पर जनविरोधी केंद्र, राज्य सरकारें खासकर ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकारें पाशविक दमन लागू कर रही हैं और नित नई नीतियां व कानून बनाते हुए उत्पीड़ित

जनता–आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर तमाम किस्म की पाबंदियां लगा रही हैं. उन्हें सभी प्रकार के अधिकारों यहां तक कि मानवाधिकारों से भी वंचित कर रही हैं. जल–जंगल–जमीन व खनिज संसाधनों पर ग्रामसभाओं को दिए गए अधिकारों से आदिवासियों को वंचित करने की साजिश के हिस्से के रूप में ही नई महुआ नीति को देखा व समझा जाना चाहिए. लंबे संघर्षों व खूनी बलिदानों से हासिल अधिकारों को पूरी तरह लागू होने से पहले ही छीना जा रहा है. वह भी आदिवासियों के हित के नाम पर जोकि बहुत बड़ा धोखा है, वंचना है. नई महुआ नीति, नई शराब नीति सहित छत्तीसगढ़ सरकार की तमाम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत, संगठित साझा संघर्ष का निर्माण करने सभी उत्पीड़ित तबकों–आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं को एकजुट होने का हमारी पार्टी आह्वान करती है.

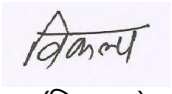

(विकल्प)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)